न्यायालय– न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बिरौल।

घनश्यामपुर थाना प्राथमिकी संख्या–155/2022

Date of Order.	**Order with initials of the Magistrate**.	**Remarks**
17/11/22	अभिलेख आज संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। देखा सम्पूर्ण कांड दैनिकी का परिशीलन किया एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को संज्ञान के बिंदु पर सुना। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामला सूचक रमाशंकर झा पुत्र-अमरनाथ झा, सा०-कन्हैय, थाना-धनश्यामपुर, जिला-दरभंगा के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस द्वारा घनश्यामपुर थाना कांड संख्या 155/2022 दिनांक-16.06.2022 को भा०द०वि० की धारा 363,366A,504/34 के अन्तर्गत 1. प्रियजीत साह पे०-पवन साह, सा०+थाना-बहेडी 2.श्याम कुमार पे०-नामालूम सा०- मधुवन, थाना-बहेड़ी, 3.पवन साह पे०-नामालूम, 4 .पवन साह की पत्नी नाम नामालूम, 5.पवन साह का बड़ा लड़का नाम नामालूम सभी सा०+थाना- बहेड़ी, जिला- दरभंगा के विरुद्ध प्रथिमिकी दर्ज कर अनुसन्धान प्रारंभ किया । दिनांक 14.10.2022 को विधि विरुद्ध बालक प्रियजीत का अभिलेख पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड दरभंगा भेज दिया गया है। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी अभियुक्त 1.श्याम कुमार, 2.पवन साह, 3.रानी देवी, 4.प्रियांशु कुमार को अनुप्रेषित दिखाते हुए विधि विरुद्ध बालक **प्रियजीत साह** के विरुद्ध धारा 366A,376 भा०द०वि० एवं 8/12 पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 181/22 दिनांक 22.10.2022 कांड दैनिकी के साथ समर्पित किया। **प्राथमिकी अभियुक्त 1.श्याम कुमार, 2.पवन साह, 3.रानी देवी, 4.प्रियांशु कुमार को अनुप्रेषित दिखाया है जिसे स्वीकार किया जाता है**। चुकि विधि विरुद्ध बालक प्रियजीत साह का अभिलेख पहले ही पृथक कर दिनांक 14.10.2022 को किशोर न्याय बोर्ड दरभंगा भेज दिया गया है, अतः कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आरोप पत्र सम्पूर्ण कांड दैनिकी के साथ ही सम्पूर्ण अभिलेख को किशोर न्याय बोर्ड दरभं–गा भेजे। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बिरौल, दरभंगा	